राजस्थान सरकार
स्वायत शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक प.10(न.पा.)(गठन)(क्रमोन्नत)(ब.धो.)डीएलबी/24/ 2821 दिनांक : 02-09-2024

अधिसूचना

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 329 सपठित धारा 337 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एवं क्षेत्र के बढते हुए औद्योगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए, विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2428 दिनाक 17/07/2023 के द्वारा निर्धारित मानकों में शिथिलन देते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा नगर पालिका **पुष्कर (जिला – अजमेर)** को **तृतीय श्रेणी नगर पालिका से नगर परिषद पुष्कर में क्रमोन्नत** किया जाता है। यह अधिसूचना तुरन्त प्रभाव से प्रभावशील होगी ।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सुरेश कुमार ओला)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक प.10(न.पा.)(गठन)(क्रमोन्नत)(ब.धो.)डीएलबी/24/2822-60 दिनांक : 02-09-2024
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, शासन सचिवालय राज. जयपुर को अतिरिक्त पद एवं व्ययभार स्वीकृति हेंतु।
4. निजी सचिव, सचिव , राज्य निर्वाचन आयोग, शासन सचिवालय राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर।
7. निदेशक, जनगणना विभाग, झालाना डूंगरी, राज. जयपुर।
8. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
9. संभागीय आयुक्त **अजमेर** एवं जिला कलेक्टर **अजमेर** राजस्थान।
10. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग राज. जयपुर।
11. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 10 प्रतियां उपलब्ध कराये जाने हेतु।
12. वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी निदेशालय को भेजकर निवेदन है कि उक्त नगरीय निकाय में अतिरिक्त पद एवं व्ययभार हेतु वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही कराने का श्रम करावे।
13. समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग, निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
14. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
15. आयुक्त/अधिशासी अधिकारी नगरीय निकाय **पुष्कर** जिला **अजमेर** को भेजकर लेख है कि अविलम्ब/ अतिरिक्त पद एवं व्ययभार हेतु वित विभाग की पूर्व स्वीकृति प्राप्त होने पर ही प्रभावी/मान्य होगा। अतः वित्तीय सलाहकार निदेशालय को आवश्यक प्रस्ताव भिजवावें ताकि वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त की जा सके।
16. उपनिदेशक (सांख्यिकी), निदेशालय को मुख्यमंत्री महोदय, के द्वारा बजट घोषणा की अनुपालना में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु।
17. नोडल अधिकारी, वेबसाईट, निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
18. सुरक्षित पत्रावली।

(लेखराज जाग्रत)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

Latter/Shree mal Ji